उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
संख्या-2/2015-ई-8-582/दस-2015
लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के कार्यालय आदेश संख्या-एम-/32-3-2014-(50)/2008, दिनांक 02 जून, 2014 द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी कराये जाने हेतु पूर्व में गठित नीलामी समिति को निरस्त करते हुए नीलामी समिति का गठन किया गया है, जिसमें सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित अनु सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

2- अत: उक्त नीलामी समिति के गठन हेतु सदस्य के रूप में वित्त विभाग की ओर से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 में तैनात अनु सचिव/उप सचिव, वित्त को पदेन नामित किया जाता है।

वी0के0एल0 श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-2/2015-ई-8-582(1)/दस-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- श्री सुभाष चन्द्र, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0एल0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।